उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 1003 – काविनी एवं वे०प्र०–29 / पाकालि / 11 – 9 काविनी / 87 दिनांक 19 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उ०प्र० शासन की अनुरूपता में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत् महिला सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्यता की संशोधित / अतिरिक्त व्यवस्थायें लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं० जी–2–176/दस–2011–216–79 दिनांक 11.04.2011 अंगीकृत किया जाना।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न सत्तासी (41)/11 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में शासनादेश सं० जी–2–176/दस–2011–216–79 दिनांक 11.04.2011 अंगीकृत किया जाता है। तदनुसार बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 1743–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–09 काविनी/87 दिनांक 30.12.2009 में निहित वर्तमान प्रभावी प्राविधानों में निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थायें/संशोधन प्राविधानित किये जाते हैं :–

I- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।

II- बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।

III- बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा।

IV- बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम–से–कम हो।

V- बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।

2. उपरोक्त के फलस्वरूप यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 30.12.2009 के कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने के पश्चात्, बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो सम्बन्धित कर्मचारी के अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में परिवर्तित कर स्वीकृत/समायोजित किया जा सकेगा।

3. कार्यालय ज्ञाप सं० 1743–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–09 काविनी/87 दिनांक 30.12.2009 की व्यवस्थायें/प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 1003 (I)– काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।

(क्रमशः........2)

2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
6- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारापोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
16- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न सत्तासी वीं बैठक के मद सं० (41/11) में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)